

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

अधिसूचना

31 मार्च, 2008 ई0

संख्या 26/XXVII(9)/स्टाम्प/2008-चूकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतः, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, अधिसूचना संख्या-62/XXVII(9)/(06/स्टाम्प-विधि/05)/2006, दिनांक 13 फरवरी, 2006 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना में निहित उद्देश्य के लिये 31-03-2009 की तारीख तक रुपये 3,00,000.00 (रुपये तीन लाख मात्र) तक के ऋण पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 12-04-2008, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 91 वित्त/299-16-04-2008-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।